राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

पीठासीन अधिकारी वीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 11 / 21 (T.A.)

उनवान

1. प्रभू पुत्र श्योनारायण जाति मीना निवासी खेड़ली कलां तहसील मण्डावर जिला दौसा राज.

....सायल

बनाम

1. सुरजन पुत्र किशन लाल ⎫ जातिवाल मीना निवासी करोण्डा
2. ममता पत्नी सोनू ⎬ तहसील कठूमर जिला अलवर हाल निवासी मढ़ दौसा
⎭ मण्डावर सुथार कॉलोनी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा
3. जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी खातीपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर
4. अमरू पुत्र छोटया ⎫ जातिवाल मीना निवासी खातीपुरा
5. शिवलाल पुत्र फुटेरी ⎭ तहसील कठूमर जिला अलवर
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर तहसील मण्डावर(दौसा)
7. सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ा कल्याणपुर प.स. कठूमर जिला अलवर।
8. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम प. खेड़ा कल्याणपुर प. स. कठूमर जिला अलवर।
9. तहसीलदार तहसील कठूमर जिला अलवर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
11. जिला कलक्टर महोदय अलवर जिला अलवर।

....गैर

सायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित 1. श्री धर्मसिंह राजपूत एडवोकेट– अभिभाषक सायल

दिनांक – 27.05.2022

निर्णय

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 0.80 हैक्टे खसरा नम्बर 74 रकबा 0.88 हैक्टेयर ग्राम खेड़ली कलां तहसील मण्डावर जिला दौसा मे स्थित है. जिसके तथ्य रूप से वादी एवं अन्य सह खातेदार काश्तकार है जिससे गैर सायलान का कोई संबंध व सरोकार किसी भी प्रकार का नही है। उक्त आराजी के तरफ उत्तर को अलवर जिले की सीमा लगती है । उक्त ग्राम खातीपुरा की आराजी मे एक रास्ता निकाला जाना प्रस्तावित है जो की सीमा ग्राम खातीपुरा मे होकर जानी चाहिये लेकिन प्रतिवादीगण रंजिश वश सायल की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 73, 74 मे होकर जबरन रास्ता बनाना चाह रहे है जबकि उक्त खसरा नम्बर के तरफ उत्तर को दो गांवो की सीमा एवं दो जिलो की सीमा है। जिसमे उन्होने अपनी तरफ की सीमा मे अतिक्रमण कर रखा है। तथा हमारी खातेदारी की आराजी मे होकर जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है। मेरे द्वारा गैरसायलान से कहा गया कि अपने अपनी अपनी सीमा के सही निर्धारण अपने अपने राजस्व अधिकारियो से उक्त आराजी की एवं सीमा की पैमाईश करवा लेते है। सीमा निर्धारण होने के बाद आप सीमा मे होकर रास्ता बना लेना आप हमारी खातेदारी की भूमि मे क्यो जबरन रास्ता बनाना चाहते हो लेकिन गैरसायलान किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नही है। गैर सायलान सभी लट्ठ के बल पर जबरन हमारी आराजी मे होकर ही रास्ता निकालने पर अड़े हुए है। यदि गैर सायलान अपने मनसूबो मे कामयाब हो गये तो हमे अपूर्णनीय क्षति होगी इसलिये सायल को दौराने दावा प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान लाना लाजिम आया है।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.11.2020 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 6 व 10 बाद तामील अनुपस्थित रहने के कारण आदेशिका दिनांक 14.12.2020 व अप्रार्थी संख्या 9 व 11 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 25.01.2021 एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5, 7 व 8 की ओर से अभिभाषक श्री उमेश शर्मा ने आदेशिका दिनांक 27.11.2020 को वकालत नामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1 से 5, 7 व 8 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 10.01.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।